न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –56 /2021 (Bank Case)

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोटा सिटी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री राजेश कुमार पाराशर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पाराशर
2. श्रीमति रानू पाराशर पत्नि श्री राजेश कुमार पाराशर
   पता– एच–9 (पश्चिम भाग) पंचवटी नगर कुन्हाडी नगर, कोटा
3. श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद
   पता– "जागृति सदन" बीएड कॉलेज के पास, मालियों का मोहल्ला, सकतपुरा कोटा
4. श्री वहीद अली पुत्र श्री हशीम अली
   पता– मकान नं. 25 पंचवटी, कुन्हाडी, कोटा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कोटा सिटी में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.03.2005 को 8,00,000/– (अक्षरेः आठ लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान एच–9 (पश्चिमी भाग) पंचवटी नगर, कोटा में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 76.39 वर्गगज है जो नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 3468 दिनांक 20.01.2005 से श्रीमति रानू पाराशर पत्नि राजेश कुमार पाराशर के नाम से है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– मकान नं. एच–9, दक्षिण :– रोड, पूर्वः– पूर्वी हिस्सा मकान नं. एच–9, पश्चिमः– प्लॉट नं. 36 एवं 37 है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 10.06.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे 05,85,183/– (अक्षरे रूपये पांच लाख, पिच्यांसी हजार, एक सौ तिरांसी रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.07.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.07.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज0)

ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.07.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 30.07.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुए, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति रिहायशी मकान एच–9 (पश्चिमी भाग) पंचवटी नगर, कोटा में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 76.39 वर्गगज है जो नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा विलेख कमांक 3468 दिनांक 20.01.2005 से श्रीमति रानू पाराशर पत्नि राजेश कुमार पाराशर के नाम से है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– मकान नं. एच–9, दक्षिण :– रोड, पूर्वः– पूर्वी हिस्सा मकान नं. एच–9, पश्चिमः– प्लॉट नं. 36 एवं 37 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)